प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.05.2026

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 15000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.04.2026 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त बिलाल व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के पति अजीमुद्दीन उर्फ नन्ना की हत्या करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुये घटना में शामिल 1. अभियुक्त बिलाल पुत्र अजीमुद्दीन निवासी टोली मोहल्ला कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद 2.अभियुक्ता खुशबू पत्नी मुस्तकीम निवासी पटेल नगर बाबा फरीदपुरी दिल्ली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त मोहम्मद निसार का नाम भी प्रकाश में आया है जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

आज दिनांक 18.05.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 15000/- रुपये का इनामी अभियुक्त मौहम्मद निसार पुत्र निजामुद्दीन निवासी वार्ड न0- 10 जाकिर हुसैन नगर महाराजगंज रायबरेली को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त मोहम्मद निसार ने पूछताछ करने पर बताया कि बिलाल मेरा दोस्त है, बिलाल को उसके माता-पिता ने अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था तथा जीविका चलाने के लिये उसे कोई खर्चा नहीं दिया था। जिस कारण बिलाल ने खुशबू व मेरे साथ मिलकर अपने पिता की हत्या करने की योजना बनाई। मैंने बिलाल व खुशबू के साथ मिलकर बिलाल के पिता अजीमुद्दीन की हत्या करके शव को बेसमेन्ट में ही छोड़कर बाहर से ताला लगाकर वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहम्मद निसार पुत्र निजामुद्दीन निवासी वार्ड न0- 10 जाकिर हुसैन नगर महाराजगंज रायबरेली, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना जाफराबाद दिल्ली से दिनांक 09.02.2026 को एक अभियोग थाना अंकुर विहार पर स्थानान्तरित होकर आया जिसमें वादिया ने शिकायत दी कि उसके पति अथर अली पुत्र अख्तर अली तथा उसके अन्य परिजनों द्वारा वादिया के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने, वैश्यावृत्ति के लिये दबाव बनाने तथा वादिया द्वारा वैश्यावृत्ति के लिये मना करने पर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना जिसके आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा- 64(1)/115(2)/351(2)/3(5) बीएनएस व धारा 5(2) अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 18.05.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अथर अली पुत्र अख्तर अली निवासी शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, हाल निवासी- प्लाट नं0 536 प्रथम तल भारत माता चौक थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद, उम्र 29 वर्ष को खन्नानगर थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा और वादिया का वर्ष-2023 में निकाह हुआ था। मेरी पत्नी का पहले भी निकाह हुआ था जहां से उसका तलाक हो गया था। मेरी यह पहली शादी थी। हम दोनों का करीब 02 साल का बेटा भी है। शादी के बाद से ही हम दोनों के बीच में दहेज में लाये सामान को लेकर तथा अन्य पारिवारिक बातों को लेकर झगडा होना शुरु हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अथर अली पुत्र अख्तर अली निवासी शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, हाल निवासी- प्लाट नं0 536 प्रथम तल भारत माता चौक थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.12.2025 को थाना लोनी पर वादी कमल सिंह निवासी बागराणप थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के बेटे तरुण को पेट मे गोली मारकर भाग जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना में अभियुक्त महावीर पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम मोहम्द सादकपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया है।

आज दिनांक 18.05.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त महावीर पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम मोहम्मद सादकपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त महावीर ने पूछताछ करने पर बताया कि करीब दिसम्बर के महीने में रात्रि के समय मैं मुखिया गेट की तरफ जा रहा था रास्ते में मुझे विनय मिला जिसके साथ तरुण व गोलू भी थे। विनय से मेरी पहले की कहासुनी को लेकर बहस होने लगी जिसमें तरूण मुझे धमकाने लगा मैंने तरूण को दूर रहने के लिए बोला लेकिन तरूण नहीं माना तो मैंने तमंचा निकाल कर जान से मारने की नियत से तरूण पर तान दिया। छीना झपटी में उसके पेट मे गोली लग गयी थी जिससे मैं डर गया था और मैं तमंचा लेकर भाग गया था। रास्ते में भागते हुए मैंने यह तमंचा कहीं नाले में फेक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महावीर पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम मोहम्मद सादकपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।